राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

सत्यमेव जयते

निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज हेतु निविदा दस्तावेज

(प्रपत्र शुल्क 500 रूपये)

बोली आमंत्रण पत्र

फोन–0141–2220194	**Email: raj.sje@rajasthan.gov.in**	**Website: https://sje.rajasthan.gov.in**

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

बिडिंग डॉक्यूमेंट
फॉर
व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा सूचना	3–4
2	निविदा प्रपत्र एवं तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र	5–7
3	निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें	8–12
4	निविदा की विशेष शर्तें	13–14
5	वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र	15
6	प्रपत्र A-D	16–21

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005

Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

क्रमांकः–सान्याअवि/कम्प्यू/व्हाट्सएप्प चैटबॉट/2023–24/1898 दिनांकः–8.5.23

खुली निविदा सूचना–

विभागीय योजनाओं से संबधिंत सेवाएँ व्हाट्सएप्प चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने हेतु व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज जिसकी अनुमानित वार्षिक लागत/व्यय 9.90 लाख रूपये है हेतु मूल सेवा प्रदाता/बिजनेस सेवा प्रदाता/सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स/अधिकृत डीलर्स/प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से दर संविदा हेतु खुली बोलियाँ आमंत्रित की जाती है।

खुली बोली का विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2.	कार्य	व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज क्रय बाबत
3	अनुमानित राशि	9.90 लाख रूपये
4	प्रपत्र शुल्क	500 रू. का डी.डी./बैंकर्स चैक/ई–ग्रास चालान अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय
5	बोली प्रस्ताव के साथ संलग्न बोली प्रतिभूति राशि (9,90,000 का 2%)	रू. 19,800/– डी0डी0/बैंकर्स चैक/ई–ग्रास अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय
6	निविदा आवेदन प्राप्त करने/डाउनलोड की अंतिम तिथि, समय व स्थान	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in अथवा https://sje.rajasthan.gov.in से डाउनलोड अथवा कक्ष सं, 106, भूतल, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से (कार्यालय समय में) दिनांक 15.05.2023 सुबह 11:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
8	बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय व स्थान	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र क.सं., 106, भूतल, अंबेडकर भवन, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में (कार्यालय समय में) दिनांक 15.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक जमा करा सकते हैं।
9	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	दिनांक 15.05.2023 दोपहरः 01:00 बजे।
10	तकनीकी बोली खोलने का स्थान	कमरा नम्बर 106, भूतल, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव नियत अंतिम तिथि/समय तक निर्धारित प्रपत्र, प्रपत्र का शुल्क व बिड प्रतिभूति शुल्क कार्यालय के कमरा नं. 02 में पृथक–पृथक लिफाफों में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक्–पृथक् लिफाफों में रखकर सील बन्द कर एक साथ जमा कराने होंगे। बिड़ के साथ निर्धारित शुल्कों से सम्बन्धित रसीद/बैंकर्स चैक/डी.डी./ई–ग्रास चालान प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियाँ दिनांक 15.05.2023 को दोपहर 01:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।
4. उक्त बोली आमंत्रण सूचना व बोली प्रपत्र का पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व https://sje.rajasthan.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

अतिरिक्त निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज हेतु बोली प्रपत्र

Part-A

यह निविदा सिंगल स्टेज टू कवर बिड सिस्टम के तहत आमंत्रित की जा रही है। तकनीकी और वित्तीय बोलियों को नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार भरा और ऑफलाईन प्रस्तुत किया जाना चाहिएः–

1	बोली प्राप्तकर्त्ता अधिकारी का पदनाम एवं पता	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, जयपुर		
2	दूरभाष	0141-2220194		
	विभागीय वेबसाईट	https://sje.rajasthan.gov.in		
		दिनांक	समय	स्थान
3	निविदा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, समय व स्थान	15.05.2023	11:00 AM	कक्ष सं. 106, अंबेडकर भवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय व स्थान	15.05.2023	12:00 PM	
4	बोली प्रस्तावों का खुलनाः–			
	तकनीकी प्रस्ताव	15.05.2023	01:00 PM	कक्ष सं. 106, अंबेडकर भवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	वित्तीय प्रस्ताव	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की तिथि एवं समय से बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।		

बोली संबंधित तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को उपर्युक्त तालिका में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्राप्त बोलियाँ तकनीकी प्रस्तावों के आधार पर शॉर्टलिस्ट की जाएगी।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज हेतु

तकनीकी बोली प्रपत्र

बोलीदाता की सूचना

क्र.सं.	विवरण	बोली दाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना	पृष्ठ सं.
1.	बोलीदाता फर्म का नाम एवं पता		
2.	फर्म का प्रकार (Proprietor/Partnership/Company)		
3.	अधिकृत व्यक्ति का नाम		
4.	दूरभाष सं.		
5.	ईमेल आई डी		
6.	फर्म की पंजीयन सं.		
7.	वार्षिक टर्न ओवर (लाखों में)	**2019-20:** **2020-21:** **2021-22:**	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर (गत तीन वर्षों का, लाखों में)		
8.	PAN		
9.	GST पंजीयन सं.		
10.	कार्यानुभव वर्षों में		
11.	राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज/व्हाट्सएप्प चैटबॉट डेवलपमेंट संबंधित न्यूनतम राशि 1 लाख रूपये का एक कार्यादेश		
12.	बोली प्रपत्र शुल्क 500 रू. का डी.डी./बैंकर्स चैक/ई–ग्रास चालान अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय		
13.	बोली प्रतिभूति राशि 19,800 (9,90,000 का 2 प्रतिशत) का डी.डी./बैंकर्स चैक/ई–ग्रास चालान अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय (Mention NO.,Date and Amount)		

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईट:– https://sje.rajasthan.gov.in

1. उपर्युक्त सूचना के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज फर्म के हस्ताक्षर और मोहर के साथ प्रस्तुत किए गये हैं।

2. हम अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा जारी NIB संख्या .... में उल्लेखित सभी शर्तों एवं बोली नोटिस की संलग्न शीट्स में दी गई आगे की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। (उल्लेखित शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में सभी पृष्ठ हमारे द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं)।

3. बोली तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि से 90 दिनों तक वैध रहेगी।

4. प्रस्तुत दरें दर अनुबंध जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों के अनुसार आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

5. मूल्य अनुसूची पर उल्लेखित सभी शर्तें स्वीकार की जाती हैं।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

–: खुली बोली/दर संविदा की सामान्य शर्तें :–

(बोलीदाताओं द्वारा इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए तथा अपने प्रस्ताव भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन किया जाना चाहिए।)

1. बोली प्रपत्र के दो भाग है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। दोनों को पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्नक व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मय सील) प्रस्तुत करनी है। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय पर बोली को खोला जाकर निम्न मापदण्ड के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :–
   a. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) की प्राप्ति ।
   b. हस्ताक्षरित बोली प्रपत्र, शर्तें मय आवश्यक दस्तावेज व संलग्नक मूल प्रस्तुत किया गया है। संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
   c. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र। इस बोली आमंत्रण में राजस्थान राज्य के एम.एस.एम.ई. उपक्रम भाग ले सकते है यदि वे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार इस बोली में भाग लेने हेतु योग्य है।
3. यह ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के साथ यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण से दृष्टिगत होती है तो ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा।
4. बोली आमंत्रण प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने है।
5. मूल सेवा प्रदाता/बिजनेस सेवा प्रदाता/सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स/अधिकृत डीलर्स/प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों द्वारा ही बोलियाँ प्रस्तुत की जायेगी।
6. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्त्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
7. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
8. **GST पंजीयन** :– कोई भी बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित, जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह प्रस्ताव नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। GST नियमानुसार पृथक् से विभाग द्वारा देय होगी।
9. बोली दाता फर्म अथवा मालिक के PAN कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की जानी है।
10. संबंधित फर्म का आई. टी. सर्विस (वेब डेवलपमेंट/मोबाईल डेवलपमेंट/व्हाट्सएप्प सर्विसेज/आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
11. आवेदक बोली प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर मय मोहर प्रस्तुत करेगा।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

12. आईटमवार BOQ में दिए गए फॉर्मेट में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में वित्तीय बिड प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
13. क्रयादेशानुसार/कार्यादेशानुसार दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय/राजस्थान **GST** को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के आदेशानुसार परिसरों पर दी जायेगी।
14. आवेदनकर्ता फर्म का कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है। (शपथ पत्र संलग्न करें ।)
15. **विधिमान्यता** :– प्रस्तुत दरें तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
16. सफल आवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
17. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगें।
18. उपापन अधिकारी को बिना किसी कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
19. **विनिर्देश** :–प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहॉ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
20. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल/सेवा का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो संवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणो को अभिलिखित करेगा।
21. आवेदक/संवेदक या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
    (i) **सुपुर्दगी अवधि** :– बोली दाता, जिसकी दरें स्वीकार की जाएगी, उसे केता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश में वर्णित तिथि एवं समय पर सामग्री/सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। सामग्री/ सेवा विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा की शर्त संख्या 27 के अनुसार कटौती की जावेगी।

    (ii) **मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना** :– यदि निविदा में प्रदर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो संवेदक अपेक्षित मात्रा प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी दी गयी शर्तों एवं दरो पर दिए जा सकेगें। यदि संवेदक, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

    (iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं/सेवाओं की खरीद नहीं करता है या निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सेवा/माल खरीदता है, तो संवेदक किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

22. (क) बोली प्रतिभूति (Bid Security) के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा कराई जाकर ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ई–ग्रास मूल कॉपी निर्धारित समय एवं तिथि से पूर्व कार्यालय में जमा करवाई जानी आवश्यक है।

(ख) बोली प्रतिभूति (Bid Security) **राशि का प्रतिदाय** :– असफल दरदाताओं की बोली प्रतिभूति (Bid Security) बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

23. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समपहरण**:– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा :–
   (i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।
   (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
   (iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
   (iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

24. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्ररूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति को निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। निष्पादन प्रतिभूति किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति से कम की नहीं होगी।

(iii) निष्पादन प्रतिभूति पर विभाग/कार्यालय द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार देय होगी :
   (क) बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।
   (ख) बैंक गारंटी

(v) एक बार की खरीद/कार्य के मामले में क्रय आदेश/कार्यादेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि संवदेक के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2).**प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहत किया जा सकेगा :–

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईट:– https://sje.rajasthan.gov.in

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया गया हो।

(ख) जब संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3). करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान संवेदक द्वारा किया जाएगा तथा विभाग/कार्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

25. भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किये जाएगें।

26.

(i) क्रयादेश/आपूर्ति आदेश/कार्यादेश में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर कार्य/प्रदाय करेगा।

(ii) परिनिर्धारित नुकसानीः– परिनिर्धारित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है :–

(क)विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख)एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग)आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ)विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

27. **वसूलियाँ :–** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से की जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

28. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली प्रस्ताव को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकार्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

29. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राज. जयपुर को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप– अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

30. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

31. बोली के क्रम में प्रथम अपील अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर होंगे।

32. **<u>Price fall clause:</u>** दर अनुबन्ध में दरें कीमतें गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। यदि दर अनुबन्ध धारक दर अनुबन्ध चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर अनुबन्ध कीमत से कम कीमत पर समान माल, सकर्मों या सेवायें देने पर उसकी कीमत कोट/कम करता है तो उस दर अनुबन्ध के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर अनुबन्ध कीमत, कीमत कम करने/कोट करने की दिनांक से स्वतः कम हो जावेगी और दरें अनुबन्ध तदनुसार संशोधित की जावेगी। समानान्तर दर अनुबन्ध धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत से उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिये 15 दिवस का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्म दर अनुबन्ध के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की हुई कीमत अन्य समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्मों एवं मूल अनुबन्ध धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान करने के लिये संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर अनुबन्ध फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उसके साथ आगे कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगा।

33. निविदादाता को अपनी वित्तीय क्षमता का प्रमाण लगाना होगा जिसमें उसका गत तीन वर्षो का न्यूनतम औसत टर्न ऑवर 5 लाख रूपये होना चाहिये तथा वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 तीन वर्षो की रिटर्न की सी.ए. से प्रमाणित प्रति लगानी होगी।

34. भुगतान हेतु अनुमोदित फर्म द्वारा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

35. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के एवं इस निविदा प्रपत्र मे अंकित अन्य समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होगें।

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राज. जयपुर।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

–: खुली बोली/ दर संविदा की विशिष्ठ शर्तें :–

(बोलीदाताओं द्वारा इन विशिष्ठ शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।)

1. **विनिर्देश :–**

(i) वारंटी/गारंटी :– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ/सेवाएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं/सेवाएँ सुपुर्दगी के दिनांक से तीन माह अथवा माल/सामान/वस्तुओं के मूल निर्माता/सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स/अधिकृत डीलर्स द्वारा प्रदत्त की गई गांरटी/ वांरटी की अवधि, जो भी अधिक हो तक विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 3 माह की उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालो/सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लधंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

2. उक्त मापदण्ड़ों के आधार पर जिन बोलीदाताओं को योग्य माना जावेगा, केवल उन्हीं बोलीप्रदाताओं की वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसके समय एवं तिथि से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जायेगा।.
3. फर्म के नाम पर राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज/व्हाट्सएप्प चैटबॉट डेवलपमेंट संबंधित न्यूनतम राशि 1 लाख रूपए का एक कार्यादेश हो। कार्यादेश संबंधित प्रमाणित दस्तावेज सलंग्न करें।
4. फर्म का GST पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
5. निविदादाता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर के साथ दिया जायेगा कि उसके द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को पढ़ लिया गया है तथा पूर्णतः सहमत है।
6. सशर्त बोली दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. संबन्धित फर्म द्वारा व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज कार्यादेश जारी होने के उपरांत निर्धारित अवधि में तुरतं प्रभाव से सर्विस उपलब्ध करवाई जायेगी।
8. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज हेतु इस निविदा के माध्यम से प्राप्त संबंधित फर्म की सेवा शुल्क की दरें 1 वर्ष या अधिकतम 9.90 लाख रूपए व्यय जो भी पहले हो तक की सीमा तक मान्य होगा। फर्म का कार्य संतोषप्रद होने पर उक्त अवधि में छः माह तक का विस्तार दिया जा सकेगा।
9. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज से संबधिंत इंटीग्रेशन एवं अन्य समस्त तकनीकी कार्य एवं सहायता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
10. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेस हेतु अधिकतम 9.90 लाख रुपए की राशि में समस्त शुल्क एवं करों की राशि भी सम्मिलित होगी।
11. व्हाट्सएप्प को भुगतान संबन्धित कार्यवाही संबन्धित फर्म के स्तर से की जाएगी एवं व्हाट्सएप्प को भुगतान में विलंब के लिए विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
12. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज के यूजेज संबन्धित विवरण देखने हेतु ऑनलाईन यूजर इंटरफेस संबन्धित फर्म द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

13. यूजर को/द्वारा चैटबॉट पर प्रेषित किए जाने वाले व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज से संबंधित 24 घंटे की सीमा में समस्त मैसेजेज को एक ही यूनिट/मैसेज माना जाएगा।
14. मेटा(व्हाट्सएप्प की स्वामित्त्व कंपनी) द्वारा व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज हेतु निर्धारित दरों के अतिरिक्त संबंधित फर्म द्वारा सेवा शुल्क की राशि के साथ वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जायेंगे। मेटा(व्हाट्सएप्प) द्वारा निर्धारित दरों में परिवर्तन (कम/ज्यादा) किए जाने पर विभाग द्वारा मेटा(व्हाट्सएप्प) की परिवर्तित दरों के अनुरूप चयनित फर्म को भुगतान किया जाएगा। संबंधित फर्म द्वारा ली जाने वाली सेवा शुल्क से संबंधित राशि फर्म को जारी किए जाने वाले कार्यादेश की संपूर्ण अवधि में स्थिर (Fix) होगी।
15. निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा एवं इस संबंध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम एव सर्वमान्य होगा।
16. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सेवाओं के लिए भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा।
17. भुगतान के लिए चयनित बोलीदाता का अनुरोध लिखित रूप में तीन प्रतियों में चालान/इनवॉयस के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विभाग द्वारा चालान/इनवॉयस प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाएगा।
18. बोलीदाता द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आई.टी. एक्ट/नीति/सुरक्षा नीति का पालन किया जाएगा।
19. विभाग द्वारा संबंधित फर्म को केवल भारतीय मुद्रा रुपये (₹) में ही भुगतान किया जाएगा।
20. विवादित मदों के मामले में, विवादित राशि विभाग के अधिकार में रहेगी एवं विवाद के समाधान उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।
21. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सर्विसेज द्वारा अधिकतम 5000 User Initiated Whatsapp Messages प्रतिदिन भेजे जा सकेंगे। उक्त सीमा विभाग की आवश्यकतानुसार परिवर्तित (कम या ज्यादा) की जा सकेगी।
22. बोली दस्तावेज में उल्लेखित देरी और गैर–निष्पादन के लिए लागू होने वाले किसी भी दंड/शास्ति को अग्रिम भुगतान से समायोजित किया जाएगा।
23. व्हाट्सएप्प मैसेजिंग सेवाओं के संबंधित फर्म के स्तर पर समुचित कार्य नहीं करने की स्थिति में चयनित बोलीदाता द्वारा प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर कॉल/समस्याओं को हल करने में विफल रहने पर चयनित बोलीदाता पर निम्नलिखित तालिकानुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी:–

S. No.	SLA Description	Penalty for not meeting SLA
1	Resolution of Complain within 24 Hours	No Penalty
2	After 24 hours	1000 Rs. Per day

Note: - Number of days for SLA calculation is inclusive of all type of holidays.

24. प्रस्तुत खुली निविदा में किसी प्रकार की कांट छांट/ओवरराइटिंग या द्विअर्थीय शब्दों का उपयोग निषेध है।
25. दर स्वीकृत हाने पर फर्म द्वारा 7 दिवस में 500 रूपये के स्टॉम्प पर स्वयं के खर्चे पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम एवं पूर्ण पता

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राज. जयपुर।

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3 / 1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

FOR REFRENCE PURPOSE ONLY

Don't enclose with technical Bid

FINANCE BID (BOQ)

S. No.	Item Description	Price in Paisa (INR) per Message as per the prescribed rate of Meta/whatsapp (Changeable)	Service charges of firm (Price in Paisa (INR) per message) (Fix)	Per message Price (in INR) (Excluding GST)
1	Business Initiate Message (per BI for 24 Hour)			
2	User Initiate Message (per UI for 24 Hour)			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम एवं पूर्ण पता

कक्ष संख्या 106, जी–3 / 1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
(g) Disclose conflict of interest, if any: and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications
Declaration by the Bidder

In relation to our Bid submitted to the Addl. Director(Admn.), Social Justice and Empowerment Department, Jaipur for supplying Prepared material/work/service etc. in response to their Notice Inviting Bids No ……………Dated…………………… we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.

3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature of Bidder

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईट:– https://sje.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is --- Principal Secetary, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

1- Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

3- **Appeal not be lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

4- **From and procedure of filing an appeal**

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

1- An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.
2- Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
3- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

5- Fee for filing appeal

1- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
2- The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

6- Procedure for disposal of appeals

1- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
   (a) hear all the parties to appeal present before him; and
   (b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
4. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

S

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No…………..of………..
Before the ……………………………………………………………………….. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   (I) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   (I)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   (Supported by an
   affidavit)
7. Prayer…………………………………
   Place………………………………
   Date………………………………

Appellant's
Signature

कक्ष संख्या 106, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर – 302005
Email:- raj.sje@rajasthan.gov.in फोन 141–2220194 वेबसाईटः– https://sje.rajasthan.gov.in

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.
3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder